न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला अलवर

अध्याशितः– श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

उनवानी वाद :–घेधु बनाम झिल्ला
दावा सं0–139/12
दावा तकासमा मय हुकमइम्तनाई दवामी
प्रार्थना पत्र 22(4) व 9 धारा 151 जा0दी0
उपस्थितिः–1. वादी की ओर से महावीर शर्मा वकील
2. प्रतिवादी की ओर से भुवनेश तिवाडी वकील

निर्णय

28.2.22

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है। वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख0न0 106 रकबा 0.4800 हे0, 891 रकबा 0.4400 हे0, 94 रकबा 0.9700 हे0 585 रकबा/1102 रकबा 0.4300 हे0, एवं आराजी ख0न0 286, 287,331,332,333,558,559,560,561,600,601, किता 11 कुल रकबा 2.0900 हे0 490 रकबा 0.1500 हे0 वाके ग्राम खोहा तहसील किशनगढबास जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी विवादित कहलावेगी। मिन वादी व प्रतिवादीगण सं0 1लगा0 20 की संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी की अबट आराजी है कि जिस आराजीसं0 106 रकबा 0.5100 हे0, 281 रकबा 0.4800हे0, 891 रकबा 0.4400हे, में मिन वादी का 1/3 दर 75/77 भाग, 585 /1102 रकबा 0.2500 हे0, 585/1103 रकबा 0.2200 हे0 में मिन वादी का 1/3 भाग 176 रकबा 0.4300 हे0 में मिन वादी का 1/18 भाग एवं आराजी सं0 286, 287, 331, 332, 333, 558, 559, 560, 561, 600, 601, किता 11 कुल रकबा 2.0900 हे0 में से वादी का 1/18 भाग व 490 रकबा 0.1500 हे0 में से मिन वादी का 1/3 भाग है तथा शेष हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रति0 का है। आराजी मुतदाविया अबट आराजी हैजिसका बाई मिटस एण्ड बाउण्डस आज तक विभाजन नही हुआ है। अब शमलात मे काश्त करना दुर्भर हो रहा है। ओर आये रोज आपस में सह खातेदार का मन मुटाव रहता है। प्रतिवादीगण बिला आराजी का तकासमा कराये ही विवादित आराजी पुख्ता निर्माण करना चाहता है। ऐसी सूरत में अब मि वादी का प्रतिवादीगण के साथ सामलात में काबिज रहकर काश्त करना सम्भव नही है। इसलिए मिन वादी आराजी मुतदाविया को बाई मीटस एण्ड बाउण्डस तकसीम कराने व अपने हिस्से की आराजी का लगान खाता अलग से कायम

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

कराने व अलग से दखल प्राप्त करने का हकदार हू कि जिसके लिए दावा तकासमा दायर करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि हरब जैल दादरसी अता फरमाई जावे।

अ–डिकी तकसीम आराजी बहक वादी बर खिलाफ प्रति0 पारित की जाकर आराजी ख0न0 106 रकबा 0.4800 हे0, 891 रकबा 0.4400 हे0, 94 रकबा 0.9700 हे0 585 रकबा/1102 रकबा 0.4300 हे0, एवं आराजी ख0न0 286, 287, 331, 332, 333, 558, 559, 560, 561, 600, 601, किता 11 कुल रकबा 2.0900 हे0 490 रकबा 0.1500 हे0 वाके ग्राम खोहा तहसील किशनगढबास जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी विवादित कहलावेगी। मिन वादी व प्रतिवादीगण सं0 1लगा0 20 की संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी की अबट आराजी है कि जिस आराजीसं0 106 रकबा 0.5100 हे0, 281 रकबा 0.4800हे0, 891 रकबा 0.4400हे, में मिन वादी का 1/3 दर 75/77 भाग, 585 /1102 रकबा 0.2500 हे0, 585/1103 रकबा 0.2200 हे0 में मिन वादी का 1/3 भाग 176 रकबा 0.4300 हे0 में मिन वादी का 1/18 भाग एवं आराजी सं0 286, 287,331,332,333,558,559,560,561,600,601, किता 11 कुल रकबा 2.0900 हे0 में से वादी का 1/18 भाग व 490 रकबा 0.1500 हे0 में से मिन वादी का 1/3 भाग है का तकासमा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस किया जाकर अलग से लगान खाता कायम किया जाकर अलग से वादी को दखल दिलाया जावे।

ब– जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी प्रतिवादी सं0 1लगा0 20 को पाबन्द किया जावे कि वो आराजी मुतदाविया में नीव खोदकर निर्माण नही करें, ना आराजी मुतदाविया को रहन बैय हिबा लीज इत्यादि से मुन्तकिल दीगर सख्स को ना करें ना वादी को फसल बोने जोतने वा बोने वो दरो करने में बाधा पैदा नही करें, ना ही निर्माण सामग्री डालकर फसल बर्बाद करे ।मौका एवं रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण आज दिनांक तक तलब नही हुए उसी दौरान वादी की मृत्यु हो गई। वादी के वारिसान को नम्बर पर लिया गया। वारिसान नम्बर पर आने के बाद प्रतिवादीगण के मरने की सूचना दिनांक 9.7.19 को न्यायालय को दी गई तथा 7.10.19 को दर0 22(4) जा0दी0 मय पेश कर निवेदन किया कि हम वादीगण के पति व पिता घेन्घु ने वाद जून 2012 मे दायर किया था हम वादीगण 1/1 लगायत 1/7 के पति व पिता घेन्घु ही पैरवी करते थे वो ही स्वय उपस्थित होते थे वो सन 2015 मे बीमार होने लगे गये दिनांक 27.8.2015 को घेन्धु वादी की मृत्यू हो गई वो उसके बाद हम वारिसान न`वादी की जद मे पक्षकार दर्ज करने का प्रार्थनापत्र आदेश 22(3) जा0दी0 पेश किया जो की कई दिनों बाद स्वीकार हुआ वो उसके बाद संशोधित अनुवान पेश किया । वादी की जद मे पक्षकार बनाये जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 ,15,16, 18, 19 के मरने की सूचना श्रीमान न्यायलय को दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रतिवादी ने जवाब पेश ना कर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया । वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण घेंघु की मृत्यु के बाद लगातार तारीख पेशी पर आये है। तथा प्रतिवादी के मरने सूचना भी वादीगण को थी लेकिन वादीगण द्वारा दिनांक 9.7.19 को न्यायलय में प्रतिवादी संख्या दो के मरने की सूचना दी तथा दिनांक 7.10.19 को प्रार्थना पत्र 22(4) जा0दी0 पेश की गई तथा उसी दोरान प्रति0,15,16,18,19 की सूचना भिजवाई । वकील वादी ने बताया कि 90 दिवस की अवधि के अन्दर यदि सूचना न्यायालय को नही दी जाती है तो दावा अबैटमेट में खारिज माना जाता है। इस संदर्भ में वकील वादी ने नजीर पेश की **citation:2012|3|DNJ|Raj.1715** राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बैंच श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल एस0बी0सिविल पीटिसन नं0 120/2009 निर्णय 17.7.2012 उनवान केदार बनाम रामनाथ अन्य पेज नं0 1715 –16 जिसमें सिविल प्रकिया संहिता 1908 आदेश 22 नियम 4 उपशमन प्रतिवादी आर की 13.8. 2007 को मृत्यु हुई विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन हेतु 16.4.2009 को आवेदन पेश किया आवेदन खारिज किया परिसीमा में आवेदन पेश नही किया बिना किसी स्पष्ट कारण आदेश के उपशमन स्वतः है निर्णीत आवेदन सही खारिज किया । अतः वादी का प्रार्थना पत्र 22 नियम 4 व 9 धारा 151 जा0दी0 मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाई जावे। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही दफा 5 अन्दर मियाद के साथ श्रीमान प्रार्थना पत्र 22(4) पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वारिसान को नम्बर पर लिया जावे।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन से साबित होता है कि वादी ने प्रतिवादी की मृत्यु दिनांक भी निर्धारित नही की जिससे पता चले की प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया है। वकील प्रतिवादी द्वारा पेश एस0बी0सिविल पीटिसन नं0 120/2009 निर्णय 17.7.2012 उनवान केदार गुर्जर बनाम रामनाथ अन्य में भी वादी द्वारा अन्दर अवधि में पेश नही करने से प्रार्थना पत्र 22(4) जा0दी0 खारिज किया गया। चूकिं प्रतिवादी वकील ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी की मृत्यु के कई वर्ष बाद प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार योग्य नही है तथा ना ही अन्दर मियाद पेश किया । न्यायालय को भी गुमराह किया गया है। इससे साबित होता है कि प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि व अन्दर मियाद पेश नही किया है। मृत्य व्यक्ति के खिलाफ दावा चलना उचित एवं न्यायसगत नही था अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर दावा अबैटमेंट काबिले खारिज प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थी /वादी का प्रार्थना पत्र 22(4) व 9 धारा 151 जा0दी0 खारिज किया जाता है। साथ ही दावा वादी अबैटमेंट में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)